International Journal of Sanskrit Research 2017; 3(5): 138-139

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2017; 3(5): 138-139
© 2017 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 20-07-2017
Accepted: 24-08-2017

शालिनी समसाल
एम० ए०, SET., S.B. Road,
Pune, Maharashtra, India

Correspondence
शालिनी समसाल
एम० ए०, SET., S.B. Road,
Pune, Maharashtra, India

महापातकों को सामान्य परिचय

शालिनी समसाल

प्रस्तावना

पृथिवी पर यदि सर्वश्रेष्ठ कोई जीव है तो वह मनुष्य है। मनुश्य–योनि ही संसार में सर्वोत्तम मानी गई है। मनुष्य के पास ही सारी सुख–सुविधाएं हैं, जिनके प्रयोग से वह अपने जीवन को और अधिक सुखमय बना सकता है। मनुष्य के लिए इस भूमि पर कितने पदार्थ हैं जिनसे वह आजीवन प्रसन्न रहता है। याज्ञवल्क्य ने प्रायश्चित्त करने वालों के पाप कर्मों का वर्णन किया है कि – ''पापकर्मों में निरत रहने वाले मनुष्य प्रायश्चित्त न करने पर अत्यन्त भंयकर एवं कष्टमय नरकों में जाते हैं। जो पापकर्म अज्ञानवश किया गया होता है, वह प्रायश्चित्त से दूर हो जाता है। जानबूझ कर किये गये पाप के लिए प्रायश्चित्त करने पर प्रायश्चित्त के वचन द्वारा लोक में व्यवहार की योग्यता प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य ने 21 नरकों का उल्लेख किया है[2], जो निम्नलिखित हैं।

1. तमिस्त्र	2. लोहशंक	3. महानित्य	4. शाल्मली	5. रौरव
6. कुड्मल	7. पूतिभृत्तिक	8. कालसूचक	9. संघात	10. लोहितोद
11. सविष	12. संप्रपातन	15. संजीवन	16. महापथ	13. महानरक
14. काकोल	17. अवीचि	18. अन्धतामिस्र	19. कुम्भीपाक	20. असिपत्र
21. तापन				

घोर महापातकों एवं उपपातकों से युक्त अधम मनुष्य प्रायश्चित्त न करने पर इन नरकों को प्राप्त करते हैं। जो पापकर्म अज्ञानता में किये जाते हैं वह प्रायश्चित्त से दूर हो जाते हैं। जानबूझकर किये गये पाप कर्म का प्रायश्चित्त करने पर वह दूर नहीं होते हैं। पापकर्म के अनुसार याज्ञवल्क्य ने पांच महापातक अर्थात् महापापों का उल्लेख किया है। ये महापातक हैं – ब्रह्महत्या करने वाला, निषिद्ध मद्य पीने वाला, ब्राह्मण का स्वर्ण चुराने वाला, गुरुपत्नी से संभोग करने वाला। इन चारों में से किसी एक के साथ एक वर्ष तक निवास करने वाला या महापातकी संसर्ग।

इनसे स्पष्ट है कि महापातकों की संख्या मुख्य तो चार है परन्तु जो इन महापातकियों से संगति करता है वह भी महापातकी कहलाता है। धर्मशास्त्र में प्रत्येक महापातक का क्रमशः वर्णन किया गया है।

1. ब्रह्महत्याः– सबसे प्रथम महापातक ब्रह्महत्या को कहा गया है। भारतीय समाज में चार वर्ण हैं –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण विराट् पुरुष का शरीर हैं – विराट् पुरुष का मुख ब्राह्मण (ज्ञानीजन), क्षत्रिय (पराक्रमी व्यक्ति) उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान हैं। वैश्य अर्थात् पोषण शक्तिसम्पन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवाधर्मी व्यक्ति, उसके पैर हुए।

ब्राह्मण का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि वह समाज में सबको ज्ञान प्रदान करता है। वह एक समाज के कई लोगों को ज्ञानी बनाता है। अतः इसी आधार पर बड़े पातकों में सबसे बड़ा पातक अर्थात् महापातक ब्रह्महत्या को माना गया है। 'ब्रह्महत्या' या 'वध' का शब्द प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त कुछ समय बाद जीवन की हानि होती है। मनुष्य किसी ब्राह्मण या किसी अन्य की मृत्यु के लिए पांच विकारों से युक्त होने पर बधिक कारण हो सकता है –

1. वह स्वयं हत्या कर सकता है अर्थात् कर्त्ता।
2. वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है अर्थात् प्रायोजिकी।
3. वह अपने अनुमोदन द्वारा दूसरों को उत्साहित कर हत्या करा सकता है अर्थात् अनुमत्ता।
4. जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये तो उसकी सहायता कर सकता है अर्थात् अनुग्राहक।
5. निमित्त होकर वह हत्या करा सकता है।

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यदि मनुष्य गुरु पर दोषारोपण, वेद की निन्दा, मित्र की हत्या एवं वेद तथा शास्त्र का आलस्यवश विस्मरण करता है तो वह ब्रह्महत्या का भागीदार होता है।

2. सुरापान :– सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले से नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओश्ठों ने केवल सुरा का स्पर्श पात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गई हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे तो यह सुरापान नहीं कहा जाएगा और व्यक्ति को सुरा स्पर्श के कारण हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।
याज्ञवल्क्य के मन से जो मनुष्य निषिद्ध (लहसुन, प्याज) पदार्थों का जानबूझकर भक्षण करता है, कुटिलता एवं उत्कर्ष प्राप्ति के लिए असत्यभाषण करता है, वह मद्यपान के सामन कार्य हैं। अर्थात् केवल सुरापान ही दूसरा महापातक नहीं अपितु जिन पदार्थों के भक्षण का शास्त्रों में निषेध किया गया है, यदि कोई व्यक्ति जानते हुए भी उन पदार्थों यथा लहसुन या प्याज आदि का भक्षण करता है, तब भी उसे सुरापान के समान ही महापातक का फल मिलता है। कुटिलता एवं उत्कर्षप्राप्ति के लिए झूठ बोलना भी सुरापान के समान ही महापातक हैं। अतः सुरापान के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

3. स्तेय :– हम प्रथम दो महापातकों ब्रह्महत्या एवं सुरापान के विषय में चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में तृतीय स्थान "स्तेय" का है। आचार्य मनु ने सुरापान का वर्णन करने के पश्चात् स्वर्ण की चोरी के प्रायश्चित्त का कथन किया है। याज्ञवल्क्य ने केवल स्तेय (चौर्य) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की चोरी के अपराध को ही चोरी समझना चाहिए। चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती हैं जिसका सम्बन्ध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा के सोने (हिरण्य) से हो। व्यास के अनुसार जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर देता है, तो उसका कृत्य चोरी कहलाता है। इस प्रकार ब्राह्मण के सुवर्ण की चोरी ही स्तेय कही जाती है। याज्ञवल्क्य के मत से – ब्राह्मण के सुवर्ण के अतिरिक्त धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य (दास, दासी), घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा, मोती, मणि चुराने वाला कर्म सुवर्ण चोरी के समान ही कर्म हैं। अर्थात् केवल सुवर्ण चोरी ही स्तेय नहीं है अपितु ब्राह्मण का घोड़ा आदि पदार्थ चुराना भी तृतीय महापातक के रूप में मान्य है।

4. गुरुपत्नीगमन :– सस्ंकृत साहित्य भारतीय समाज का दर्पण हैं। हमें यदि अपने प्राचीन समाज के विषय में जानना हो तो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि संस्कृत ग्रन्थों प्राचीन समाज का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत हर प्रकार से उन्नत था। आज के समाज को पुरुष प्रधान समाज समझा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आज स्त्रियों की स्थिति अच्छी नही है। परन्तु मनुस्मृति की इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत की स्त्रियों की दशा कैसी थी?

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

अतः यदि कोई चाहता हो कि उसके यहां देवगण हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करें तो स्त्रियों का सम्मान आवश्यक है। "मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव", इस उक्ति में भी माता का स्थान सर्वप्रथम आया है। इसी प्रकार गुरु का स्थान भी देव–तुल्य है तो प्राचीन समाज में गुरुपत्नी का स्थान कैसा होगा ? इसी प्रश्न के समाधान में महापातकों के उल्लेख में चतुर्थ महापातक के रूप में गुरुपत्नी गमन का वर्णन आया है। याज्ञवल्क्य ने गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने को भी महापातक माना है।

5. महापातकी संसर्ग :– मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसे समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। प्राचीन काल से ही संगति के विशय में विद्वानों का मत रहा है कि जिस व्यक्ति की संगति जैसी होगी वह वैसा ही हो जाता है। आचार्य भर्तृहरि ने संगति के विशय में नीतिशतक में कहा है–

जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय ! किं करोति पुसाम्।।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि मुख्य महापातक तो चार हैं परन्तु इन चारों के साथ रहने वाला व्यक्ति भी महापातकी रहता है, अर्थात् भले ही आप ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय एवं गुरुपत्नीगमन इन चारों महापातकों में से कोई महापातक करे या न करे, अपितु याज्ञवल्क्य के मतानुसार उपर्युक्त चार महापातकियों के साथ लगातार एक वर्ष तक निवास करने वाला महापातकी संसर्ग का अपराधी माना जाता है और वह भी महापातकी बन जाता है।
उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या पर सेवन करता है, किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातकी कहा जाता है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों के संसर्ग में एक वर्ष तक संसर्ग करता है, उसे संसर्ग–पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही प्रायष्चित्त करना पड़ता है। यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आधा होता है। यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के लिए $\frac{1}{4}$ की छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था।।